



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022026-270264
CG-DL-E-18022026-270264

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 865]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 18, 2026/माघ 29, 1947

No. 865]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 18, 2026/MAGHA 29, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2026

का.आ. 905(अ).— केंद्र सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 2 के खंड (xi) के उप-खंड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित पदार्थों, लवणों तथा उनसे तैयार की गई वस्तुओं को निर्मित औषधि घोषित करता है, अर्थात्:-

(i) एन-पाइरोलिडिनो प्रोटोनिटाज़ीन (प्रोटोनिटाज़ेपाइन)-

2-[(4-प्रोपोक्सीफिनाइल) मिथाइल]-5-नाइट्रो-1-(2-पाइरोलिडिन-1-इलेथाइल)-1एच बेंजोइमिडाजोल;

(ii) एन-पाइरोलिडिनो मेटोनिटाज़ीन (मेटोनिटाज़ेपाइन)-

2-[(4-मेथॉक्सीफिनाइल) मिथाइल]-5-नाइट्रो-1-(2-पाइरोलिडिन-1-इलेथाइल)-1एच-बेंजोइमिडाजोल;

(iii) एटोनिटाज़ेपिप्रे (एन-पिपेरिडिनाइल एटोनिटाज़ीन)-

2-[(4-एथोक्सीफिनाइल) मिथाइल]-5-नाइट्रो-1-(2-पिपेरिडिन-1-इलेथाइल)-1एच-
बेंजोइमिडाज़ोल;

(iv) एन-डेसिथाइल - आइसोटोनिटाज़ीन (नोरिसोटोनिटाज़ीन)-

एन-एथाइल-2-[[4-(1-मिथाइलएथॉक्सी)फिनाइल]मिथाइल]-5-नाइट्रो-1एच-बेंजोइमिडाज़ोल-1-एथेनमाइन।

2. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एन-12019/1/2025-एनसी-II-डीओआर]

मुकेश सुंदरियाल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2026

S.O. 905(E).— In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (xi) of section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby declares the following substances, salts and preparations thereof to be manufactured drugs, namely: -

(i) N-Pyrrolidino protonitazene (protonitazepyne)-

2-[(4-Propoxyphenyl) methyl]-5-nitro-1-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-1H-benzoimidazole;

(ii) N-pyrrolidino metonitazene (metonitazepyne)-

2-[(4-methoxyphenyl) methyl]-5-nitro-1-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-1H-benzoimidazole;

(iii) Etonitazepipne (N-piperidinyl etonitazene) –

2-[(4-Ethoxyphenyl) methyl]-5-nitro-1-(2-piperidin-1-ylethyl)-1H-benzoimidazole;

(iv) N-Desethyl-isotonitazene (norisotonitazene) –

N-Ethyl-2-[[4-(1-methylethoxy) phenyl] methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole-1-ethanamine.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No N-12019/1/2025-NC-II-DOR]

MUKESH SUNDRIYAL, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2026

का.आ. 906(अ).— चूँकि केन्द्र सरकार निम्नलिखित पदार्थों (प्राकृतिक या कृत्रिम) या प्राकृतिक सामग्री या किसी लवण या ऐसे पदार्थों या सामग्रियों के निर्माण के दुरुपयोग की प्रकृति और प्रभाव या दुरुपयोग के दायरे के संबंध में, और ऐसे पदार्थों के संबंध में संशोधन और ऐसे परिवर्तन जो संयुक्त राष्ट्र मनःप्रभावी पदार्थ सम्मेलन, 1971 में शामिल किए गए हैं, के आधार पर उपलब्ध जानकारी और साक्ष्य से संतुष्ट है, और वह निम्नलिखित पदार्थों या प्राकृतिक सामग्रियों या लवण या ऐसे पदार्थों या सामग्रियों के निर्माण को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61), (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मनःप्रभावी पदार्थों की सूची में जोड़ना अनिवार्य मानती है।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस प्रकार उक्त अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट मनःप्रभावी पदार्थों की सूची में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 110 जेड जेड आई के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ क्रमशः सम्मिलित की जाएंगी, अर्थात्:-

क्रम सं.	अंतरराष्ट्रीय गैर-स्वामित्व वाले नाम	अन्य गैर-स्वामित्व वाले नाम	रासायनिक नाम
“110 जेड जेड जे		हेक्साहाइड्रोकेनाबिनोल (एच.एच.सी.)	6,6,9-ट्राइमिथाइल-3-पेंटाइल-6ए,7,8,9,10,10ए-हेक्साहाइड्रोबेंजो[सी]क्रोमेन-1-ओल
110 जेड जेड के		कैरीसोप्रोडल	2-[(कार्बामायलॉक्सी)मिथाइल]-2-मिथाइलपेंटाइल(1-इथाइलएथिल)कार्बामेट”

2. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एन-12019/1/2025-एनसी-II-डीओआर]

मुकेश सुंदरियाल, अवर सचिव

नोट: स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की अनुसूची को पहली बार दिनांक 26 अक्टूबर, 1992 के संख्या का.आ.785(अ) द्वारा संशोधित किया गया था और बाद में संख्या का.आ.49(अ) दिनांक 8 जनवरी, 1993, संख्या का.आ.39(अ) दिनांक 12 जनवरी, 1996, संख्या का.आ.475(अ) दिनांक 11 जून, 2003, संख्या सा.का.नि. 621(अ) दिनांक 1 अगस्त, 2003, संख्या सा.का.नि. 1(अ) दिनांक 2 जनवरी, 2004, संख्या का.आ.311(अ) दिनांक 10 फरवरी, 2011, संख्या का.आ.376(अ) दिनांक 5 फरवरी, 2015, संख्या का.आ.2374(अ) दिनांक 12 जुलाई, 2016, संख्या का.आ.1383(अ) दिनांक 2 मई, 2017, संख्या का.आ.821(अ) दिनांक 27 फरवरी, 2018, संख्या का.आ.1761(अ) दिनांक 26 अप्रैल, 2018 और संख्या का.आ.3448(अ) दिनांक 13 जुलाई, 2018, संख्या का.आ.1352(अ)

दिनांक 13 मार्च 2019, संख्या का.आ.1275(अ) दिनांक 23 मार्च 2021, संख्या का.आ.4428(अ) दिनांक 22 सितंबर 2022, संख्या का.आ.5319(अ) दिनांक 16 नवंबर, 2022, संख्या का.आ.578(अ) दिनांक 8 फरवरी, 2024 और संख्या का.आ.1730(अ) दिनांक 16 अप्रैल, 2025 द्वारा संशोधित किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2026

S.O. 906(E).— WHEREAS the Central Government is satisfied, on the basis of information and evidence which has become available to it, with respect to the nature and effects of, or the scope of abuse of the following substances (natural or synthetic) or natural material or any salt or preparation of such substances or materials, and the modification with respect to such substances and the changes that have been incorporated in the United Nations Convention on Psychotropic Substances, 1971, and that it is necessary to add the following substances or natural materials or salts or preparation of such substances or materials in the list of psychotropic substances specified in the Schedule to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) (hereinafter referred to as the said Act).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the list of psychotropic substances specified in the Schedule to the said Act, namely: -

In the said Act, in the Schedule, after serial number 110ZZI and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall, respectively be inserted, namely: -

Sl. No.	International non-Proprietary names	Other non-proprietary names	Chemical Name
“110ZZJ		Hexahydrocannabinol (HHC)	6,6,9-Trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydrobenzo[c]chromen-1-ol
110ZZK		Carisoprodol	2-[(carbamoyloxy)methyl]-2-methylpentyl(1-ethylethyl)carbamate”

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No N-12019/1/2025-NC-II-DOR]

MUKESH SUNDRIYAL, Under Secy.

Note: The Schedule to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) was first amended, vide number S.O. 785(E), dated the 26th October, 1992 and subsequently amended, vide numbers S.O. 49(E), dated the 8th January, 1993, S.O. 39(E), dated the 12th January, 1996, S.O. 475(E), dated the 11th June, 2003, G.S.R. 621(E), dated the 1st August, 2003, G.S.R. 1(E), dated the 2nd January, 2004, S.O. 311 (E), dated the 10th February, 2011, S.O. 376(E), dated the 5th February, 2015, S.O. No. 2374 (E), dated the 12th July, 2016, S.O. No. 1383 (E), dated the 2nd May, 2017, S.O. 821(E), dated the 27th February, 2018, S.O. 1761(E), dated the 26th April, 2018 and S.O. 3448(E) dated the 13th July, 2018, S.O. 1352(E), dated the 13th March 2019, S.O. 1275(E), dated the 23rd March 2021, S.O. 4428(E), dated the 22nd September 2022, S.O. 5319 (E), dated the 16th November, 2022, S.O. 578(E), dated the 8th February, 2024 and S.O. 1730(E) dated 16th April, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2026

का.आ. 907(अ).— केंद्र सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 2 के खंड (vii) और (xxii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) संख्या का.आ. 1055 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2001 में प्रकाशित हुई है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की, तालिका में, क्रम संख्या 238 ज़ेडज़ेडज़ेडएल और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ क्रमशः डाली जाएंगी, अर्थात्:-

क्रम सं.	मादक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ का नाम (अंतरराष्ट्रीय गैर-स्वामित्व नाम (आईएनएन))	अन्य गैर-स्वामित्व वाले नाम	रासायनिक नाम	छोटी मात्रा (ग्राम में) (सिंगल डोज ग्राम में X 100)	वाणिज्यिक मात्रा (ग्राम में) छोटी मात्रा ग्राम में X 50)
"238ज़ेडज़ेडज़ेडएम	एन-पाइरोलिडिनो प्रोटोनिटाज़ीन (प्रोटोनिटाज़ेपाइन)		2[(4-प्रोपोफेनिल)मिथाइल]-5-नाइट्रो-1-(2-पाइरोलिडिन-1-इथाइल)-1एच-बिमेज़ोटिस्सीन	0.0017ग्राम	0.085ग्राम
238ज़ेडज़ेडज़ेडएन	एन-पाइरोलिडिनो मेटोनाइट्रेज़ीन (मेटोनाइट्रेज़ेपाइन)-		2[(4-मेथॉक्सीफेनिल)मिथाइल]-5-नाइट्रो-1-(2-पाइरोलिडिन-1-इथाइल)-1एच-बिमेज़ेनिओफॉरमाइड	0.50ग्राम	25ग्राम
238ज़ेडज़ेडज़ेडओ	ईटोनिटाज़ेपिपिने (एन-पाइपेरिडिनिल ईटोनिटाज़ीन)		2[(4-इथॉक्सीफेनिल)मिथाइल]-5-नाइट्रो-1-(2-पाइपेरिडीन-1-इथाइल)-1एच-बिमेज़ेनिडोरो	0.0075 ग्राम	0.375ग्राम
238ज़ेडज़ेडज़ेडपी	एन-डेसेथिल-आइसोटोनिटाज़ीन (नोरिसोटोनिटाज़ी)		एन-एथिल-2-[[4-(1-मेथिलएथोक्सी)फेनिल]मिथाइल]-5-नाइट्रो-1एच-बेंज़िमिडाज़ोल-1-एथेनामीन	0.01ग्राम	0.5 ग्राम
238ज़ेडज़ेडज़ेडक्यू		हेक्साहाइड्रोकैनाबिनोल (एच.एच.सी.)	6,6,9-ट्राइमिथाइल-3-पेंटिल-6ए,7,8,9,10,10ए-हेक्साहाइड्रोबेंज़ो[सी]क्रोमेन-1-ओल	0.5ग्राम	25ग्राम

238 ज़ेडज़ेडज़ेडआर		कैरीसोप्रोडल	6,6,9-ट्राइमिथाइल-3-पेंटाइल-6ए,7,8,9,10,10ए-हेक्साहाइड्रोबेंज़ो[सी]क्रोमेन-1-ओल	25 ग्राम	1250ग्राम"
--------------------	--	--------------	---	----------	------------

2. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एन-12019/1/2025-एनसी-II-डीओआर]

मुकेश सुंदरियाल, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 1055 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी और बाद में संख्या का.आ. 2941 (अ), दिनांक 18 नवंबर, 2009, का.आ. 1430 (अ), दिनांक 21 जून, 2011, का.आ. 375 (अ) दिनांक 5 फरवरी, 2015, का.आ. 2375(अ), दिनांक 12 जुलाई, 2016, का.आ. 384 (अ), दिनांक 2 मई, 2017, का.आ. 822(अ), दिनांक 27 फरवरी, 2018, का.आ. 1762(अ), दिनांक 26 अप्रैल, 2018, का.आ. 1351 (अ), दिनांक 13 मार्च 2019, का.आ. 1276 (अ), दिनांक 23 मार्च 2021, का.आ. 4429 (अ), दिनांक 22 सितंबर 2022, का.आ. 5320 (अ), दिनांक 16 नवंबर, 2022 का.आ. 578(अ), दिनांक 8 फरवरी, 2024 और का.आ. 1731 (अ) दिनांक 16 अप्रैल, 2025 द्वारा संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2026

S.O. 907(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (viiia) and (xxiia) of section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1055 (E), dated the 19th October, 2001, namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 238 ZZZL and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall, respectively be inserted, namely: -

S. No.	Name of Narcotic Drug and Psychotropic Substance (International non-proprietary names (INN))	Other non-proprietary names	Chemical name	Small Quantity (in gm.) (Single dose in gm X 100)	Commercial Quantity (in gm.) (Small quantity in gm X 50)
"238ZZZM	N-Pyrrolidino protonitazene (protonitazepyne)		2-[(4-Propoxyphenyl)methyl]-5-nitro-1-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-1H-benzimidazole	0.0017gm	0.085gm
238ZZZN	N-pyrrolidino metonitazene (metonitazepyne)-		2-[(4-methoxyphenyl)methyl]-5-nitro-1-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-1H-benzimidazole	0.50gm	25gm

238ZZZO	Etonitazepipne (N-piperidinyl etonitazene)		2-[(4-Ethoxyphenyl)methyl]- 5-nitro-1-(2-piperidin-1- ylethyl)-1H-benzoimidazole	0.0075 gm	0.375gm
238ZZZP	N-Desethyl- isotonitazene (Norisotonitazene)		N-Ethyl-2-[[4-(1- methylethoxy)phenyl]methyl]- 5-nitro-1H-benzimidazole-1- ethanamine	0.01 gm	0.5 gm
238ZZZQ		Hexahydrocannabinol (HHC)	6,6,9-Trimethyl-3-pentyl- 6a,7,8,9,10,10a- hexahydrobenzo[c]chromen- 1-ol	0.5gm	25gm
238ZZZR		Carisoprodol	2-[(carbamoyloxy)methyl]-2- methylpentyl(1- ethylethyl)carbamate	25 gm	1250gm”

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No N-12019/1/2025-NC-II-DOR]

MUKESH SUNDRIYAL, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1055 (E), dated the 19th October, 2001 and subsequently amended vide numbers S.O. 2941 (E), dated the 18th November, 2009, S.O. 1430 (E), dated the 21st June, 2011, S.O. 375 (E) dated the 5th February, 2015, S.O. 2375(E), dated the 12th July, 2016, S.O. 384 (E), dated the 2nd May, 2017, S.O. 822(E), dated the 27th February, 2018, S.O. 1762(E), dated the 26th April, 2018, S.O. 1351 (E), dated the 13th March 2019, S.O. 1276 (E), dated the 23rd March 2021, S.O. 4429 (E), dated the 22nd September 2022, S.O. 5320 (E), dated 16th November, 2022 S.O. 578(E), dated the 8th February, 2024 and S.O. 1731 (E) dated 16th April, 2025.